प्रदेश के सभी ज़िलों को 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' योजना के लिये मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

5 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के सभी 22 ज़िलों को 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' योजना के लिये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मंज़ूरी मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- सभी 22 ज़िलों की कृषि, बागवानी, दूध, पॉल्ट्री आदि क्षेत्र से संबंधित अपना उत्पाद शामिल किया गया है, जिसे सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता करके बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों को पूरा लाभ मिलेगा और प्रदेश में कृषि निर्यात भी बढ़ेगा।
- इन ज़िलों में मंज़ूर किये गए उत्पादों में अंबाला ज़िले में प्याज, भिवानी-फतेहाबाद-महेंद्रगढ़ में मौसमी, नींबू, संतरा आदि खट्टे फल, चरखी दादरी-रोहतक-फरीदाबाद में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज आदि कुकुरबिट्स से संबंधित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसी प्रकार गुरुग्राम ज़िले में आँवला, झज्जर में अमरूद, जींद में मुर्गीपालन, करनाल में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कुरुक्षेत्र में आलू, नूँह-पलवल में टमाटर, पंचकूला में अदरक, हिसार-कैथल में दूध व दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी।
- इसी तरह पानीपत ज़िले में गाजर, रेवाड़ी में सरसों, सिरसा में किन्नू, सोनीपत में मटर और यमुनानगर में आम से संबंधित उत्पादों को नई पहचान दिलाई जाएगी।
- दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों को ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिये सरकार हर ब्लॉक को उसके अपने उत्पाद के साथ एक औद्योगिक विज़न से जोड़ेगी। इसके लिये सरकार 'वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट' की योजना पर कार्य कर रही है और जल्द 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' की तरह सभी ब्लॉकों में भी अलग-अलग उत्पादों के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-district-one-product-scheme